

सेवास. 11

फर्द अहकाम
अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
मुकाम-गुड़ामालानी

कैशाल	बनाम	रामा
जीसीएमएस संख्या	2024/18	किस्म मुकदमा 19/2024
तारीख हुकम	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए/पावती
	<p>हमने अधिवक्ता प्राथमिक की बहम सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया। पत्रावली में मुलाखत जमाबंदी विधि आराजी संयुक्त खतौदारी की आराजी है तथा प्राथम-पत्र एवं अधिवक्ता प्राथमिक की बहम के अनुसार उक्त आराजी पैलूक आराजी है उक्त पैलूक खतौदारी आराजी में प्राथमिक द्वारा हिन्दु अन्वयिका अधिनियम-1956 के तहत खतौदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पैलूक किया गया है जो विचाराधीन है अगर अप्रार्थी सं. 01 ने का.सु. उक्त मुलाखत आराजी के प्राथमिक के कब्जे काका में परिवर्तन करने में कामयाब होते हैं तो प्राथमिक को अपूठनीय बनी होना संभावित है अतः प्राथमिक का प्रथम प्रस्तुत इलाज, प्राथम-पत्र एवं बहम अधिवक्ता प्राथमिक के आधार पर ही करने हुए उन्नयपक्षकारान की संयुक्त पैलूक खतौदारी आराजी खसरा संख्या 305/2 रकबा 11.693 हेक्टर ग्राह आदर्श गौ.सिमा तहसील नोयडा पर जारी अध्याई निपेक्षा पाबंद किया जाता है कि अप्राथमिक मुलाखत आराजी पर गौ.सिमा प्राथमिक के हिस्से तक गौ.सिमा व रिकॉर्ड की प्रघाटिपती बनाए रखे। पत्रावली कैमल कुमार हीन मूल वाद के तारीख है।</p>	